तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिसिल जज	हुक्म की तामील या जारी हुये।
5.8.20	वकालाम उपा बहस हेतु एक अवसर चाहा, जो न्यायहित में दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक: 11/8/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	[illegible]
11/8/20	वकालाम उपा बहस वकालाम सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 25/8/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
25/8/20	वकालाम उपा समय अभाव के कारण आदेश नहीं लिखा जा सका। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 04/9/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
04/9/20	वकालाम उपा प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251A स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस. **मुकदमा नं. 07/2016**

प्रार्थी :–

1. हुसैन पुत्र अल्लाबक्ष कौम–मुसलमान निवासी–खाटूबड़ी तहसील जायल, जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. बजरंगलाल पुत्र रामदेव
2. बाली पत्नी रामदेव कौम–नाई निवासीगण–खाटूबड़ी, तहसील जायल जिला–नागौर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, अप्रार्थीगण 1, 2 की ओर से।

दिनांक– 04/9/2020

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी के खेत खसरा नं. 1060 रकबा 41.13 बीघा, खसरा नं. 1061 रकबा 5.10 बीघा, खसरा नं. 1061/1008 रकबा 7.03 बीघा मौजा खाटूबड़ी तहसील जायल में स्थित है। जिनमें आने जाने तथा पशुधन गाड़ी छकड़ा ट्रेक्टर आदि ले जाने हेतु रास्ता ग्राम खाटूकलां से कचरास जाने वाली मुरड़िया सड़क से माफिक नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क "ए" से "बी" लाल स्याही के अनुसार है। जिस जगह से प्रार्थी अपने खेत में आना जाना करता है वह खेत अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का खातेदारी कब्जे काश्त का खेत है जिसके खसरा नं. 2162/363 रकबा 13.02 बीघा है। इस रास्ते से प्रार्थी अर्सो से अपने खेत में आने जाने के लिए उपभोग करता आया है। अप्रार्थी के हक बंट की भूमि मूल खसरा नं. 363 से विभाजन होकर प्राप्त हुई है जिसपर कब्जा काश्त अप्रार्थी का ही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 इस रास्ते को बंद करने पर आमादा है, जिसकी वजह से प्रार्थी अपने खेत में कृषि कार्य करने से वंचित रह जायेगा तथा कृषि उपज नहीं होने के कारण प्रार्थी का भरण पोषण नहीं हो पायेगा। अप्रार्थी व उसके परिवार वाले रास्ते में आने जाने के लिए रूकावट पैदा कर रहे है। प्रार्थी के आने जाने के लिए इस खेत अलावा कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। अतः प्रार्थी को खेत खसरा नं. 1060, 1061, 1061/1008 मौजा बरनेल तहसील जायल में कृषि हेतु वाहन, पशुओ को लाने

04/9/2020
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

व ले जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 2162/363 के अतिरिक्त कोई भी नजदीकी रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु नहीं लगता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी के उक्त खेताय में आने जाने बाबत् अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 2162/363 रकबा 13.02 बीघा में से नजरी नक्शानुसार मार्क ए. से बी. की तरफ 10 बीस्वा भूमि का रास्ता दिलाया जावे जिसके बदले में प्रतिफल राशि प्रार्थी वहन करने के लिए सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने वकालातनामा पेश किया। तहसीलदार जायल को हस्तगस्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 25.04.2017 अपूर्ण होने से प्रकरण में मौका रिपोर्ट पुनः दिनांक 08.07.2020 को गई। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में प्रार्थीया के खेत में आने जाने के लिए सबसे नजदीकी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 में दर्शाये नजरी नक्शानुसार मार्क सी. से डी होना बताया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते की दूरी सबसे नजदीक है जिसकी दूरी 74 गठ्ठा होना तथा रकबा 0.10 बीघा भूमि ही रास्ते के उपयोग हेतु बताई है, जिस पर सूखे पत्थरों की दीवार का निर्माण किया हुआ होना तथा किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं होना बताया है। प्रस्तावित रास्ते हेतु भूमि की डी.एल.सी. दर 23283 रू. बनती है जिसके अनुसार 0.10 बीघा भूमि के 2 गुणा के हिसाब से रूपये 23283 रू. प्रतिफल राशि बनती है।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 ने प्रार्थना पत्र के संबंध में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थीगण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में से आंशिक पैरा सही होना तथा शेष समस्त पैराज मिथ्या, मनगढ़त, गलत होने से अस्वीकार करते हुये बताया कि प्रार्थी के खेत में कोई ढाणी नहीं बनी हुई है। एक सूखे पत्थरों की कोटड़ी बनी हुई है तथा प्रार्थी काफी समय पहले खनन कार्य करता था जिसमें अपने औजार रखने के काम लेता था, जो जर्जर अवस्था में है। इसी प्रकार ग्राम खाटूकलां से कचरास जाने वाली मुरड़िया सड़क से प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु माफिक नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी रास्ता की बात गलत है, प्रार्थी के खेत में जाने के लिए के अप्रार्थीगण के खेत में से कोई रास्ता नहीं है तथा न ही कभी प्रार्थी का आना जाना रहा है। प्रार्थी का पुरातन काल से ही से मार्क वैकल्पिक मार्ग ग्राम खाटूकलां तहसील जायल के खसरा नं. 1065 गौचर भूमि में से मौजूद होने से प्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार कृषि कार्य करने तथा पशुओं को लाने व ले जाने के लिए आता जाता रहने संबंधी तथ्य अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये तथा प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने हेतु उल्लेख किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क सी. से डी. के अनुसार स्वीकार किये जाने निवेदन किया तथा प्रार्थी के

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

खातेदारी, कब्जा सुदा खेत खसरा नं. 1060, 1061 व 1061/1008 में कृषि कार्य करने हेतु आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 2162/363 में से प्रार्थना पत्र के अनुसार मार्क ए. से बी तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल के अनुसार मार्क सी. से डी. के माफिक 0.10 बीघा रास्ता उपलब्ध कराया जावे जिसके एवज में नियमानुसार अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी वहन करने के लिए तैयार है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस दलीलें पेश करते हुये हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों/पैराज का खण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढ़त तथा गलत होने से अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी को खातेदारी के खेत में कृषि कार्य हेतु आने जाने अथवा कृषि प्रयोजनार्थ संसाधनो के लाने व ले जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, जबकि मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1065 गैर मुमकिन गौचर में रास्ता उपलब्ध है, जो वर्तमान में चालू है, तथा अधिक सुविधाजनक भी है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251क काबिले खारिज होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया। साथ ही वकुलाय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष की पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 का अवलोकन किया जिसमें अंकित है कि प्रार्थी के रहवास के लिए कच्चा निर्माण किया जाकर कोटडी के रूप में ढाणी बनी हुई। तथा प्रार्थी का खसरा नं. 2162/363 में से स्वयं खातेदारी खेत खसरा 1059, 1061, 1061/1008 में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए. से बी. तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 08.07.2020 के अनुसार मार्क सी. से डी. के अलावा अन्य कोई नजदीकी कटाणी रास्ता नहीं लगता है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 के अवलोकन से होती है। साथ ही मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल दिनांक 08.07.2020 में दर्शाये नजरी नक्शा के अनुसार मार्क ए. से बी तथा अप्रार्थी के जवाव प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य दस्तावेज/नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क सी. से डी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नं. 1065 की भूमि गैर मुमकिन गौचर भूमि है, जो राज्य सरकार से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है तथा भविष्य में राज्य सरकार के नवीनतम प्रस्ताव के लिए आरक्षित की जा सकती है तथा उक्त खसरान की भूमि में से निजी खातेदार को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायालय मत में न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए (नियम 1 व 2) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी काश्तकार को सुविधाजनक उपभोग के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा एवं वैकल्पिक रास्ता एवं साधनों का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में ही आवेदन पत्र स्वीकृत किया जा सकेगा। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की दूरी सबसे कम तथा रास्ते के लिए

04/9/2020
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

उपयोग/उपभोग में आने वाली भूमि 0.10 बीघा है, जो कटाणी मार्ग ग्राम खाटूकलां से कचरास ग्रेवल (गुरड़िया) सड़क से नजदीक होने से तथा अप्रार्थीगण एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार के द्वारा नजरी नक्शें में दर्शाय वैकल्पिक रास्ता ग्राम खाटूकलां के खसरा नं. 1065 है, जो गैर मुमकिन गौचर भूमि तथा राज्य सरकार से प्रतिबंधित भूमि होने के कारण स्वीकृत नहीं किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी खेत खसरा नं. 1059, 1061 एवं 1061/1008 ग्राम खाटूकलां तहसील जायल में कृषि कार्य के लिए स्वयं की आत्यान्तिक आवश्यकता, कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता जो कि गैर मुमकिन गौचर भूमि है तथा राज्य सरकार से प्रतिबंधित भूमि होने से रास्ते का अभाव होना सिद्ध पाया जाने के कारण अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 2162/363 रकबा 13.02 बीघा में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ स्वयं आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण मौजा खाटूकलां तहसील जायल के खसरा नं. 2162/363 रकबा 13.02 बीघा भूमि में से माफिक नजरी नक्शानुसार 0.10 बीघा का तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 के अनुसार डोटेट मार्क सी. से डी. के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार डी.एल.सी. दर 23283/— प्रतिबीघा के अनुसार 0.10 बीघा भूमि के एवज में 2 गुणा राशि 23283/— रू. अप्रार्थीगण को जरिये तहसीलदार जायल भुगतान करे। माफिक आदेश बाद अपील मियाद के अप्रार्थीगण को न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहररी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04/9/2020 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

04/9/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल *

Scanned with CamScanner